अति–आवश्यक
आज ही जारी हो

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।

क्रमांकः– अराज / सामा / 2024 / 29 दिनांक– 10/06/2024

समस्त संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
जोन–राजस्थान।

विषयः– 16वीं विधानसभा के प्रथम सत्र के अतारांकित प्रश्न संख्या 1091 / प्रसुवि द्वारा श्री हरीश चन्द्र मीना (194), माननीय सदस्य राजस्थान विधानसभा द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्न विधानसभा प्रश्न का जवाब आपके अधीन चिकित्सा संस्थानो / कार्यालयों से प्राप्त कर एवं **निम्न प्रपत्र अपने स्तर पर ईकजाई कर 03 दिवस** में ईमेल आईडी– nggeneral107@gmail.com पर हार्डकॉपी एवं सॉफ्टकापी (एक्सल सीट में) में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। उल्लेखनीय है कि विधानसभा प्रश्नों के जवाब समय पर नही देने को अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0 जयपुर द्वारा अति गंभीरता से लिया है, सूचना / उत्तर भिजवाने में किसी भी प्रकार का विलम्ब होने की स्थिति में संबंधित की व्यक्तिशः जिम्मेदारी मानते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

प्रश्न

1. प्रदेश में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनका स्थानांतरण होने के बावजूद न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश लेकर स्थानांतरित जगह पर कार्यग्रहण नहीं किया गया है? विभागवार एवं कर्मचारी वार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।
2. क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी ना किये जाने से उक्त स्थानांतरित कर्मचारियों के प्रकरणों का निपटारा नहीं हो पाया है? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।
3. क्या सरकार उक्त मामलों में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?यदि हां तो क्या व कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

प्रपत्र

क्र. स.	नाम कार्मिक	पद	पदस्थापन स्थान	विधानसभा क्षेत्र	जिला	स्थानान्तरण (कहां से कहां पर)	स्थगन आदेश दिनांक	रिट / अपील संख्या	माननीय न्यायालय का नाम	आगामी तारीख पेशी	जवाबदावा प्रस्तुत दिनांक

निदेशक (अराजपत्रित),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।

क्रमांकः– अराज / सामा / 2024 / दिनांक–

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राज0 जयपुर।
3. उप निदेशक (विधानसभा) मुख्यालय को उनकी अनौ0 टिप्पणी क्रमांक 2708 दिनांक 10.06.2024 के क्रम में
4. नियंत्रण अधिकारी, समस्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपसे संबंधित सूचना संबंधित संयुक्त निदेशक, जोन के मार्फत ही भिजवाये। सीधे निदेशालय को सूचना प्रेषित करने की स्थिति में पडने वाले विपरित प्रभाव के लिये आप स्वयं उत्तरदायो होगें।
5. संस्थापन अधिकारी, अराजपत्रित अनुभाग को भेजकर लेख है की प्रश्न के संबंध में निदेशालय स्तर की सूचना तैयार कर अधोहस्ताक्षकर्ता को अविलम्ब उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुये समस्त जोन को ईमेल भी करें।

निदेशक (अराजपत्रित),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।